न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 279 सन 2020

अनवान :–

1. उगी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह जाति जाट निवासी निमला हाल निवासी नहरानां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 27/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 237/19 के खसरा न0 144/3.08070हैक , 244/6.7410हैक , खसरा न0 258/0.2020हैक खसरा न0 306/3.3390 ,खसरा न0 572/4.0740हैक खसरा न0 617/3.2250हैक खसरा न0 734/468 की 2.5290हैक कुल 23.8900हैक में वादीया का 1/8 हिस्सा दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीया का नाम गुडडी पुत्री उदाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम उगी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीया का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीया का सही नाम उगी पुत्री उदाराम पत्नि प्रतापसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम उगी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गुडडी पुत्री उदाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर गुडडी पुत्री उदाराम के स्थान पर उगी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जवाब शामिल मिसल किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 237/19 के खसरा न0 144/3.08070हैक , 244/6.7410हैक , खसरा न0 258/0.2020हैक खसरा न0 306/3.3390 ,खसरा न0 572/4.0740हैक खसरा न0 617/3.2250हैक खसरा न0 734/468 की 2.5290हैक कुल 23.8900हैक में वादीया का 1/8 हिस्सा दर्ज है

उक्त भूमि मे वादीया का नाम गुडडी पुत्री उदाराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम उगी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादीया का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादीया का सही नाम उगी पुत्री उदाराम पत्नि प्रतापसिह है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

नाम उमी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गुडडी पुत्री उदाराम दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केरीसरी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही गौजा नीमला के खाता संख्या 237/19 के खसरा न0 144/3.08070हैक , 244/6.7410हैक , खसरा न0 258/0.2020हैक खसरा न0 306/3.3390 ,खसरा न0 572/4.0740हैक खसरा न0 617/3.2250हैक खसरा न0 734/468 की 2.5290हैक कुल 23.8900हैक में वादीया का 1/8 हिस्सा दर्ज है जिसमें वादीया का नाम गुडडी पुत्री उदाराम दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उमी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह के स्थान पर गुडडी पुत्री उदाराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम उमी पुत्री उदाराम पत्नी प्रतापसिह दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम उमी होना प्रतित होता है वादीया ने वाद भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई है जिसमें भी वादीया का नाम उमी पुत्री उदाराम दर्ज है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही गौजा नीमला के खाता संख्या 237/19 के खसरा न0 144/3.08070हैक , 244/6.7410हैक , खसरा न0 258/0.2020हैक खसरा न0 306/3.3390 ,खसरा न0 572/4.0740हैक खसरा न0 617/3.2250हैक खसरा न0 734/468 की 2.5290हैक कुल 23.8900हैक में वादीया का 1/8 हिस्सा में वादीया का गुडडी पुत्री उदाराम अंकित है के स्थान पर उमी उर्फ गुडडी पुत्री उदाराम पत्नि प्रतापसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर रो कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (हनुमानगढ़)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. उमी पुत्री उदाराम पत्नि प्रतापसिह जाति जाट निवासी निगला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 279 सन 2020 निर्णय दिनांक– 27/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 237/19 के खसरा न0 144/3.08070हैक , 244/6.7410हैक , खसरा न0 258/0.2020हैक खसरा न0 306/3.3390 ,खसरा न0 572/4.0740हैक खसरा न0 617/3.2250हैक खसरा न0 734/468 की 2.5290हैक कुल 23.8900हैक में वादीया का 1/8 हिस्सा में वादीया का गुडडी पुत्री उदाराम अंकित है के स्थान पर उमी उर्फ गुडडी पुत्री उदाराम पत्नि प्रतापसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner